दिनांक : .५.२०१९

सेवा में,
१. मा. केंद्रीय गृहमंत्री, नई देहली.
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय : राष्ट्रप्रेमी एवं प्रखर हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी को बंदी बनाने का निषेध; अधिवक्ता पुनाळेकरजी को तुरंत मुक्त करें !

मुंबई के राष्ट्रप्रेमी, प्रखर हिन्दुत्वनिष्ठ एवं हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी तथा सूचना का अधिकार कार्यकर्ता श्री. विक्रम भावेजी को केंद्रीय अन्वेषण विभाग ने (सीबीआई ने) दाभोलकर हत्या प्रकरण में २५ मई को बंदी बनाया । डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच अभी केंद्रीय अन्वेषण विभाग कर रहा है । इस प्रकरण में पिछले ३ वर्षों में सीबीआइ ने अनेक निर्दोष हिन्दुओं को बंदी बनाया है । समाचारवाहिनियों से पता चला है कि, इस प्रकरण में अधिवक्ता पुनाळेकरजी को १० महीने पहले दिए एक संदिग्ध आरोपी के बयान के आधार पर बंदी बनाया गया है । सीबीआई का यह कृत्य अत्यंत अनुचित एवं निंदनीय है । इस संपूर्ण प्रकरण में सीबीआई का आचरण, संदेहजनक और हिन्दुत्ववादियों पर दबाव डालनेवाला है । यह सब हिन्दुत्ववादी कहे जानेवाले शासन के काल में हो रहा है, यह हम हिन्दुओं के लिए दु:खद और आश्चर्यकारक है ।

*** इस विषय में ध्यान में आईं बातें आगे दे रहे है....**

१. शासन की ओर से अनुदान अथवा भूखंड लेकर उस पर जो चिकित्सालय बनाए जाते हैं, उनमें गरीबों के लिए १० प्रतिशत खाटें छूट की दर पर और २० प्रतिशत खाटें नि:शुल्क रखने का नियम है; परंतु अनेक लोगों को यह सुविधा नहीं मिलती । इसे ध्यान में रखकर गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की । इस पर न्यायालय ने चिकित्सालयों को गरीबों के लिए खाटें आरक्षित रखने का आदेश दिया ।
२. दिनांक ११ अगस्त २०१२ को मुंबई के आजाद मैदान में रजा अकादमी के ५० हजार से अधिक धर्मांधों ने दंगा किया । इस समय धर्मांधों ने राष्ट्रीय संपत्ति की व्यापक हानि की । पुलिस और पत्रकारों पर आक्रमण किए तथा सबसे गंभीर बात यह है कि दंगाइयों ने महिला पुलिस पर भी अत्याचार किया । इस प्रकरण में दंगाइयों से हानिभरपाई वसूलने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने 'राष्ट्रीय पत्रकार मंच' की ओर से मुंबई उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई याचिका नि:शुल्क लड रहे हैं । इसमें भी न्यायालय ने संबंधित लोगों से हानिभरपाई का वसुलने का आदेश दिया ।
३. एक पिछडी जाति के लडके की कारावास में मृत्यु हो गई, उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकर ने उन्हें नि:शुल्क कार्य किया ।
४. आदिवासी समाज के, ईंटभट्टी पर मजदूरी करनेवाले एक १६ वर्षीय लडके को रायगड जिले की पुलिस ने एक हत्या के आरोप में बंदी बनाया और उसकी आयु २२ दिखाई । वह लडका निर्दोष होने का विश्वास होने पर अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने वह अल्पवयीन है, यह न्यायालय के ध्यान में लाकर उसे छुडाया ।
५. महाराष्ट्र शासन ने सरकारीकरण किए श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी; पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति, कोल्हापुर; श्री सिद्धीविनायक मंदिर, मुंबई; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समिति, पंढरपुर; श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापुर; सहित अनेक मंदिरों के व्यवस्थापन में हुए भ्रष्टाचार के प्रकरण अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने उजागर किए ।
६. साथ ही मालेगांव बम-विस्फोट प्रकरण के उपरांत 'हिन्दू आतंकवाद' नामक कांग्रेस प्रचारित झूठ को उजागर करने का कार्य सर्वप्रथम अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी ने विविध स्तर पर वैचारिक प्रतिवाद कर किया । इस प्रकरण के ५ आरोपियों के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने वकील के रूप में कार्य करते हुए कुछ लोगों को जमानत भी दिलाई ।
७. वर्ष २००९ में मडगांव (गोवा) में हुए विस्फोट के प्रकरण में सनातन के ६ साधकों को गिरफ्तार किया गया था । उनका अभियोग अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी ने लडा और उन सभी की निर्दोषता न्यायालय में सिद्ध करते हुए सभी ६ साधकों को मुक्त कराया ।

८. डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश इन हत्या प्रकरणों का अन्वेषण करनेवाले सीबीआई के अधिकारी नंदकुमार नायर को अनुचित अन्वेषण के लिए फटकारते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा था, 'यह अधिकारी सीबीआई पर कलंक है ।' अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने यह उजागर करते हुए सीबीआई के ऐसे कलंकित अधिकारी हिन्दुत्ववादियों को किस प्रकार फंसा रहे हैं, इस षड्यंत्र का भांडाफोड किया था ।

९. इन प्रकरणों में कुछ हिन्दुत्ववादी कार्यकर्ताओं को धन का प्रलोभन देकर, सनातन संस्था का नाम लेने हेतु उद्युक्त करने के प्रकरण की तथा एक प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार वाहिनी द्वारा किए 'स्टिंग ऑपरेशन' की पोल भी अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने खोली । अधिवक्ता पुनाळेकरजी को भी सनातन संस्था के विरोध में बोलने के लिए २ करोड रुपयों का लालच दिया गया था, यह उन्होंने बताया ।

१०. शहरी नक्सलवाद, कर्नाटक में हुई ८ हिन्दुत्वनिष्ठों की हत्या के प्रकरण में 'पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया' के आबीद पाशा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर ने न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है ।

११. अंनिस जैसे आधुनिकतावादी संगठनों के भ्रष्टाचार, उनकी अवैध रूप से जमा की गई विदेशी मुद्रा, ये प्रकरण उजागर करने में अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने सहायता की । परिणामस्वरूप, अंनिस जैसी संस्थाओं को धर्मादाय आयुक्त ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया ।

१२. श्री. विक्रम भावेजी ने 'मालेगांव विस्फोट के पीछे छिपा अदृश्य हाथ' यह पुस्तक लिखकर मालेगांव विस्फोट का वास्तविक स्वरूप उजागर किया है तथा अनेक स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में हो रहा भ्रष्टाचार सूचना अधिकार द्वारा सामने लाया है ।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने अनेक सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रकरणों के भ्रष्टाचार, राष्ट्र एवं धर्म पर होनेवाले आघात आदि रोकने के लिए प्रयास किया है । जहां आतंकवादी याकूब मेमन, अफजल गुरु, अजमल कसाब जैसे देशद्रोहियों को उनका पक्ष रखने के लिए वकील दिया जाता है ; तो संदिग्ध के रूप में बंदी बनाए गए हिन्दुओं का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकर ने वकीलपत्र लिया, इसमें अनुचित क्या है ? किसी वकील ने निरपराध का पक्ष रखने का प्रयत्न करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का ही तो उपयोग किया है । तब भी उन्हें षड्यंत्रपूर्वक बंदी बनाकर, जानबूझकर हिन्दुओं का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है । यह उनके कर्तव्य पर कुठाराघात है । सीबीआई की यह कार्रवाई संविधान का गला घोंटनेवाली कार्रवाई है ।

*** इस प्रकरण में हमारी मांगें हैं,**

१. इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तथा इस प्रकरण में सीबीआई की भूमिका की भी जांच की जाए ।

२. सीबीआई के अधिकारी नंदकुमार नायर के पास से डॉ. दाभोलकर प्रकरण की जांच छीनकर, अन्य निष्पक्ष अधिकारी के पास सौंपी जाए अथवा यह जांच न्यायालय की निगरानी में की जाए ।

३. अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर और विक्रम भावे की 'मीडिया ट्रायल' के माध्यम से की जा रही मानहानि और हिन्दुत्वनिष्ठों का दमन रोका जाए ।

४. 'सीबीआई' का इतिहास कलंकित है, इसमें हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को षड्यंत्रपूर्वक फंसाने के अनेक उदाहरण हैं, इस समय भी इस संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्दोष अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी एवं विक्रम भावेजी को तत्काल सम्मानपूर्वक मुक्त किया जाए ।

इस मांग के लिए..... को ..... पर ..... आंदोलन किया गया ।

आपका नम्र,

हिन्दू जनजागृति समिति के लिए,
संपर्क :